उत्तराखण्ड की सवर्ण जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देना

2386. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तरांचल/उत्तराखण्ड की उच्च सवर्ण रावत जातियोम के सभी व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीम, तो क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार निराधार थे?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव

2387. **श्री राधवजी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये 1996-97 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि , हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन के लिये केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी देने के बाद उन पर अनुदान देने की सहमति दे दी है और राशि को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा; और

(घ) यदि हाम, तो इन प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलन्वत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां।

निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:-

योजना	होस्टलों की संख्या	मांगी गई केन्द्रीय सहायता
		लाख रुपए
लड़के	40	120
लड़कियां	38	336.27

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव कुछ पहलुओं में विशेष तौर पर राज्य को पहले निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के बारे में कमी पाई गई थी। इसलिए वर्ष 1996-97 के दौरान कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकार को पहले स्वीकृत कोई योजनाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। केवल उसके बाद ही नई योजनाओं पर विचार किया जाएगा।

Development work' for orphan children and handicapped persons by voluntary institutions

2388. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the State-wise details of voluntary organisations in the country, engaged in the development work of poor, orphan children, grieved women and handicapped persons for last three years;

(b) whether these voluntary institutions are extended grants by Central Government in addition to the grants extended from the State Governments; and

(c) if so, the details of the amount of grant extended by Central Government during the last three years?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BAI.WANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गो में सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर)

2389. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्योम ने आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़ वर्गो में " सम्पन्न वर्ग" (क्रिमी लेयर) के बारे में अपने-अपने विचार और सुझाव दे दिये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मुद्दे पर प्रत्येक राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(घ) इस मुद्दे पर सर्व सम्मत निर्णय पर पहुंचते हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सूचना विवरण-I पर उपलब्ध है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

आरक्षण नीति के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गो के बीच "सम्पन्न वर्ग" के बारे में विचारोम तथा सुझावों से सम्बंधित विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना को दर्शाने वाला विवरण

क्र0सं0	राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उत्तर का सारांश
1.	आन्ध्र प्रदेश	सरकार ने आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राज्य में सामाजिक तथा शौक्षित रूप से पिछड़े वर्गों के बीच सम्पन्न वर्ग की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों के लिए किया गया था तथा उक्त आयोग ने मुर्द्दी की जांच की और आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्पन्न वर्ग पर आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्पन्न वर्ग पर आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिमंडल उपसचिव का गठन किया गया है। मंत्रीमंडल उप सचिव की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।
2.	सिक्किम	सिक्किम सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो के बीच सम्पन्न वर्ग अवधारणा पर अपने सुझाव तथा विचार दिए है। इस सरकार ने अन्य पिछड़े, वर्गो को प्रमाण पत्र जारी करने तथा सम्पन्न वर्ग के निर्धारित के लिए मानदणडों और डी0सी/ए0डी0सी0/ए0डी0एम0 को भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए सम्पन्न वर्ग को हटाने के मानदण्डों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो को प्रमाण पत्र जारी करने की शाक्तियां प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या 3/डब्ल्यू0डी0/95 दिनांक 6.6.1995 जारी की है। इसके अतिरिक्त सिक्किम सरकार सम्पन्न वर्ग की अवधारणा से सम्बंधित विचारों पर विभिन्न संगठनों से परामर्श करती रही है और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3.	पश्चिम बंगाल	सरकार इस संबंध में सितम्बर 1993 में अनुद्रेश /दिशा निर्देश का कार्यान्वयन पहले ही की जा चुकी है।
4.	केरल	राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गो के बीच सम्पन्न वर्ग पर अपने विचार तथा सुझाव नहीम दिए। अब यह मामला दिनांक 4.11.1996 के 1990 ले डब्ल्यू0पी0 (सिविल) सं0 930 में आई ए0 नं0 35 तथा 36 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार माननीय उच्च-न्यायालय ने न्यायमूर्ति श्री के0जे0 ओसेफ की अध्यक्षता में उच्चधिकार समिति के विचाराधीन है।
5.	चण्डीगढ़	(ग) तथा(घ) को ध्यान में रखते हुए (क) तथा (ख) लागू नहीं है:- चण्डीगढ़ प्रशासन अन्य पिछड़े वर्गो के बीच सम्पन्न वर्ग के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण कर रहा है।

क्र0 सं0	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उत्तर का सांराश
6.	हरियाणा	सरकार ने आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गो के बीच सम्पन्न वर्ग के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। सरकार ने अन्य पिछडी वर्गो के बीच सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/समूहों को हटाने के लिए अपने स्वयं के मानदण्ड निर्धातित की है।
7.	गोवा	इस प्रकार ने, जैसा कि भारत सरकार ने निर्धारित किया है, पहले ही, "क्रिमी लेयर" के लिए वही प्रक्रिया अपनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
8.	महाराष्ट्र	सम्पन्न वर्ग के बारे में महाराष्ट्र ने कोई सुझाव तथा विचार नहीं दि है, यद्यापि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सम्पन्न वर्ग के लिए कुछ नगण्य परिवर्तनों के साथ वहीं प्रक्रिया अपना रही है।
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो के बीच सम्पन्न वर्ग से सम्बंधित भारत सरकार की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
10.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	जहां तक इस संघ राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, अन्य पिछड़े वर्गो की सूची अधिसूचित नहीं की गई है। तथापि, अण्डमान तथा निकोबार पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक स्थायी निकाय का गठन किया गया है तथा प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान का कार्य आरम्भ कर दिया है।
11.	त्रिपुरा	जहां तक त्रिपुरा राज्य का सम्बंध है, आरक्षण नीति से सम्बंधित अन्य पिछड़े के बीच सम्पन्न वर्ग के बारे में सुझाव तथा विचार अभी प्राप्त होने है। लेकिन भारत सरकार सम्पन्न वर्ग के मानदण्ड का अनुसरण राज्य सरकार करती है।

उपेक्षित और निराश्रित बच्चों का कल्याण

2390. **श्री अजीत जोगी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपेक्षित और निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिये निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई और इसमें से कितनी धनराशि की उपयोग किया ग्या है; और

(ग़) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलन्वत सिंह रामूवालिया): (क) कल्याण मंत्रालय के पास उपेक्षत तथा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए दो विशिष्ट योजनाएं है। किशोर सामाजिक कुखमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, विशेष गृहों तथा उत्तरवर्ती देखभाल की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किए जाते है। बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों को निराश्रितता, उपेक्षा, दुरूपयोग तथा शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर सांस्थानिक आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक की सहायता प्रदान की जाती है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है।